

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।

(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/ X-22(00573)/2024/261

दिनांक:- 06/06/24

---आदेश:--

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)/वित्त/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.11(7) वित्त/नियम/पार्ट-1 दिनांक 6.10.2008 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद(श्री/श्रीमती/सु श्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/ वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
1.	दिनेश कुमार महात्मा, नर्सिंग ऑफिसर	बीसीएमओ सायला (जालौर)	24.09.1993	24.09.2020 27 वर्ष	लेवल-13	लेवल-15
2.	लाल चन्द सोनी, नर्सिंग ऑफिसर	कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय, जोधपुर	23.09.1993	23.09.2023 27 वर्ष	लेवल-13	लेवल-15
3.	खरथा राम, नर्सिंग ऑफिसर	खण्ड मु. चिकि. अधि. बायतु (बाडमेर)	16.06.1990	16.06.2017 27 वर्ष	9300-34800 (ग्रेड पे-5400)	15600-39100 (ग्रेड पे-6000)

उक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।
उक्त कर्मचारियों में से यदि किसी कर्मचारी के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई है, तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक:- 06/06/2024

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/ X-22(00573)/2024/261

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
7596423

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 05-06-2024 02:32:16